पत्रांक–9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024–1115 (9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15 दिनांकः–30/03/2026

विषय :– राजस्व न्यायालयों में वादों का नियम संगत निष्पादन एवं "Remand" करने की प्रवृति पर रोक।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की ''समृद्धि यात्रा'' एवं माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के ''भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम'' में समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि राजस्व न्यायालयों में कई वादों के लंबित रहने के कारण आम जनमानस में रोष व्याप्त है जिसका निराकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है।

2. राजस्व न्यायालयों को Civil Court की शक्तियाँ (CPC. 1908) प्रदत्त है।

3. यह भी विदित हो कि राजस्व न्यायालयों में Summary Trial किये जाने का प्रावधान है।

4. यह कि राजस्व न्यायालयों को निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही वादों का निष्पादन करना कानूनी बाध्यता है, फिर भी कतिपय पदाधिकारियों द्वारा कानून की जानकारी/समय या समझ के अभाव में वादों को निष्पादित करने के बदले उसे निम्न न्यायालयों को "Remand" कर दिया जाता है जो कि न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट "Misuse" है।

5. "Remand" निचली अदालतों में करना अपवाद स्वरूप एवं सकारण किया जा सकेगा।

6. Remand Note/Order में यह अंकित करना आवश्यक होगा कि किन–किन बिंदुओं का पुनः परीक्षण निम्न अदालत द्वारा किया जायेगा।

7. Remand Order में एक समय अवधि अंकित किया जाना आवश्यक होगा, ताकि उक्त समय–सीमा के भीतर निम्न न्यायालय आदेश पारित करेंगे।

8. उपर्युक्त सभी निर्देशों का पालन राजस्व न्यायालयों में व्यापक जनहित एवं राज्यहित में किया जाय।

9. समाहर्त्ता अपने Jurisdiction के सभी राजस्व न्यायालयों में इसका दृढ़ता से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक –9/सै0 विविध (कोर्ट केस) 05/2024–1115 (9A), पटना–15, दिनांक– 30.03.26

प्रतिलिपि – सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/03/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव